कैवियट संलग्न

-1-

64

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र

प्रकरण कंमाक /15 निगरानी

निगरानी 2240-I-15

नारायण पुत्र हरिविलास जाति धोबी निवासी – वार्ड कमांक 9 करबा गोहद तहसील जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

.....आवेदक

श्री ... द्वारा आज 15/7/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. बच्चू लाल पुत्र हरिविलास जाति धोबी निवासी– वार्ड कमांक 9 करबा गोहद तहसील जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
2. बाल कृष्ण पुत्र हरिविलास जाति धोबी निवासी– वार्ड कमांक 9 खरौआ गेट करबा गोहद तहसील जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
3. सोना बाई पुत्री हरिविलास पत्नी विशम्भर दयाल जाति धोबी निवासिनी–धोबी चौक टापू मोहल्ला लश्कर ग्वालियर
4. माया बाई पुत्री हरिविलास पत्नी विशम्भर दयाल जाति धोबी निवासी–ग्राम मुडिया खेडा तहसील व जिला मुरैना
5. वीरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद
6. श्रीमती राम बेटी पत्नी लक्ष्मण प्रसाद निवासीगण– वार्ड कमांक 9 खरौआ गेट करबा गोहद तहसील जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
7. सतीश कुमार पुत्र नारायण प्रसाद निवासी– वार्ड कमांक 9 खरौआ गेट करबा गोहद तहसील जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

...........अनावेदकगण

निगरानी आधीन धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता व नाराजी आदेश दिनांक 09.04.2015 जो न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक 141/2013–14 अ.मा. व उनवान नारायण बनाम बच्चू लाल आदि में पारित कर आवेदक/अपीलार्थी की द्वितीय अपील समयबाधित होने के आधार पर आवेदन धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का खारिज करते हुये, निरस्त की और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण कमांक 89/2012–13/अपील में पारित आदेश तारीख 21.04.2014 व न्यायालय तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 13/2007–08/अ–6 में पारित आदेश को कन्फर्म किया गया।

श्रीमान् जी

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

नारायण

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2240/एक/2015 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
3.11.16	पूर्व पेशी 1-2-2016 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं । प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण नम्बर 141/13-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 09-04-2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है जिसके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण कमांक 89/12-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-4-2014 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने विलम्ब के आधार पर आदेश दिनॉक 9-4-15 से निरस्त किया है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 9-4-15 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। स्थिति यह पाई गई कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण कमांक 89/12-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-4-2014 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष 60 दिवस में अपील प्रस्तुत की है जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 सहपठित 47 के अंतर्गत इस हेतु संमयसीमा 45 दिवस है अर्थात 15 दिन विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है जिसमें से अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि में व्यतीत समय कम करने पर 10 दिवस विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का तथ्य बताया गया है। जैसाकि इस न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 6-1-16 में यह तथ्य आया है कि जब आवेदक अपर आयुक्त के समक्ष चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुका है कि वह बीमार था जिसके	

कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण बता रहा है – मात्र 10 दिवस का विलम्ब क्षमा किये जाने पर विचार किया जाना है, जबकि आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुये 10 दिवस के विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना की थी, अपील प्रस्तुत करने में हुआ 10 दिवस का विलम्ब अनुचित विलम्ब नहीं है मात्र 10 दिवस के विलम्ब के आधार पर आवेदक को गुणदोष के आधार पर न्याय पाने से बंचित करना उचित नहीं है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – अपील/निगरानी न्यायालय में विलम्ब के आधार पर निरस्त अपील/निगरानी मन्जूर – मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोष पर निर्णय लेने हेतु वापिस किया जायेगा।

प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 09–04–2015 पारित करते समय 10 दिवस का विलम्ब क्षमा न करते हुये पक्षकार को न्याय से बंचित किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण नम्बर 141/13–14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 09–04–2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण नम्बर 141/13–14 अपील को नम्बर पर लेकर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पुनः गुणदोष के आधार पर बोलता हुआ आदेश पारित करें।

सदस्य